

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश सहारण RAS

न्याय निर्णयन आवेदन संख्या:-18/23 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के, (1473)

राजस्थान सरकार जरिये कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर प्रार्थी

बनाम

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स श्याम लाल नरेश कुमार, पावर हाउस के सामने अनूपगढ़

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)52

निर्णय

दिनांक:- 14.05.2024

यह इस्तगासा तत्कालीन लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 52 एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है:- यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 23.02.2022 को दोपहर बाद 11:00 बजे बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स- श्याम लाल नरेश कुमार, पावर हाउस के सामने अनूपगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री नरेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल अग्रवाल विक्रेता व मालिक संस्थान पर मालिक नरेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल अग्रवाल विक्रेता व मालिक कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र कौंके पर नहीं दिखाया। केवल मौखिक रूप से आवेदन करना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में मिक्स आचार (रसीला) कुल 1-1 किलोग्राम की 4 जार पैक बोतलें ग्राम खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी मिक्स आचार (रसीला) शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमूना सूचनार्थ दी गई गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा 4 पैक बोतलें 375 एमएल खाद्य पदार्थ नमूने वास्ते लिये। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा मिक्स आचार (रसीला) का नगद भुगतान 480 रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। जिसको चार सुखी प्लास्टिक बोतलों में बराबर बराबर मात्र में भरकर प्रत्येक बोतल को एयर टाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेवल चिपकाए एवं लेवलो पर डियो कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1473 दर्ज किया। और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डियो गंगानगर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप के-1473 नियमानुसार चारो नमूनों पर निचे से उपर तक गोंड से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बाँधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सिल से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के- 1473 मिक्स आचार (रसीला)लिखकर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनों भागो को अपने जाबो में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में सिल बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन श्रीगंगानगर के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सिल मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। सिल बंद नमूना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमूने का भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/Act/2022/362-63 दिनांक 15.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य

विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राजस्थान बीकानेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट क्रमांक **L.S.507/Act/2022/507** दिनांक **08.04.2022** अनुसार उक्त नमूना **मिक्सब्रांड** पाया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक **/17694-695/18.07.2023** के द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगान की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।


श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खा.सु.ओ.नि./स.सी./2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक 1398, 99 दिनांक 05.10.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा **मिक्स आचार (रसीला)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अकुश लग सके।

गैरसायल के अधिवक्ता उपस्थित हुआ व अपना जवाब पेश किया। मद संख्या 01 व 02 साक्ष्य साबित करने का दायित्व परिवादी साबित करता है। मद संख्या 03 निर्माता कंपनी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। परिवादी द्वारा साक्ष्य साबित किया जाना आवश्यक है। मद संख्या 4 ता 6 परिवाद अस्वीकार है। मद संख्या 07 साक्ष्य साबित करने का भार परिवादी पर है। मद संख्या 08 निराधार है। मद संख्या 09 अस्वीकार है। मद संख्या 10 कानूनी विषयान्तर्गत होने के कारण परिवादी द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर साबित की जाना। मद संख्या 11 अभियोजन स्वीकृति की गई है अस्वीकार है। मद संख्या 12 दस्तावेजी आधारित है अस्वीकार है। मद संख्या 13 स्वीकार है। परिवादी द्वारा प्रार्थी की दुकान से कोई खाद्य पदार्थ खरीद नहीं किया गया और ना ही प्रार्थी की दुकान से कोई बरामदगी हुई है। प्रार्थी को मुगालत में रखकर एवं दवाब देकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं एवं उन्हीं हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके प्रार्थी के विरुद्ध झूठा परिवाद पेश किया गया है। जबकि प्रार्थी उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता कंपनी नहीं है ना ही परिवादी ने कंपनी को पक्षकार मुकदमा बनाया है। उक्त परिवाद मिथ्या छाप का है जिस किसी कंपनी की मिथ्या छाप उपयोग की गई हो व ऐसी किसी कंपनी से अनुसंधान किया गया है। ऐसा कोई दस्तावेज परिवाद के साथ पेश नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवाद पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार **मिक्स आचार (रसीला)** अमानक नहीं पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण **मिक्स आचार (रसीला)** में होना खाद्य विशेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज नहीं किया गया है। बहस गैरसायल अधिवक्ता प्रस्तुत जबाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला **बीकानेर दिनांक 08.04.2022** में **मिक्स आचार (रसीला)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उलंघन करते हुए नमूना **1473** मिक्स ब्रांड पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)52** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर **गैरसायलफर्म मैर्सस श्यामलाल नरेश कुमार पावर हाउस** के सामने अनूपगढ़ रु **25000/-** रुपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक **14/5/23** को सुनाया गया।

  
(ओमप्रकाश सहारण)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त सिले कलेक्टर  
अनूपगढ़